2 भूमिका

महिलाओं के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुपालन में, राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग को मिले व्यापक अधिदेश में महिलाओं के विकास से संबंधित लगभग सभी मुद्दे आते हैं, अर्थात् संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रदत्त रक्षोपायों का विश्लेषण और जांच करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना; संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान प्रावधानों की पुनरीक्षा करना तथा ऐसी विधियों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्राुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करना; महिलाओं के अधिकारों आदि की वंचनाओं संबंधी विषयों पर प्राप्त शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और उपयुक्त अधिकारियों के साथ इन मुद्दों को उठाना; महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन/शोध करना; महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर परामर्श देना तथा इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना; जेलों, सुधार–गृहों आदि का, जहां महिलाओं को रखा जाता है, निरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई करना।

इस अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्यवाही की। आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/कार्यशालाओं आदि में भाग लिया और महिलाओं पर किए गये अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच की।

आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं और त्वरित न्याय दिलाने के लिए उसने कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने लैंगिक आधार पर भेदभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों तथा सेमिनारों/ कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों आदि का आयोजन किया एवं नारी भ्रूण हत्या, महिलाओं पर हिंसा, बाल विवाह आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रचार अभियान चलाया। इन कार्यक्रमों के आयोजनों में गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

आयोग का गठन

वर्ष 2008–09 के दौरान, आयोग में नियुक्त इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में विवरण निम्नवत हैः

(i) डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा – 16.02.2005 से 15.02.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 09.04.2008 को कार्यभार संभाला)

(ii) सुश्री यास्मीन अब्रार, सदस्य – 24.05.2005 से 23.05.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 15.07.2008 को कार्यभाल संभाला)

(iii) सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सदस्य – 26.05.2005 से 11.05.2008

(iv) सुश्री नीवा कंवर, सदस्य – 27.05.2005 से 26.05.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 15.07.2008 को कार्यभाल संभाला)

(v) सुश्री निर्मला वेंकटेश, सदस्य – 15.07.2005 से 14.07.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 24.09.2008 से 27.02.2009 तक पद पर बनी रहीं)

(vi) सुश्री मंजु एस. हेम्ब्रोम, सदस्य – 30.06.2006 से

(vii) सुश्री वानसुक सयिम, सदस्य – 26.09.2008 से

(viii) श्री एस. चटर्जी, सदस्य–सचिव – 10.09.2007 से

आयोग के कृत्य मुख्यतः इसके तीन प्रकोष्ठों द्वारा किए जाते हैं अर्थात शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ, अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ तथा विधिक प्रकोष्ठ। प्रत्येक प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का वर्णन क्रमशः अध्याय 2, 3 और 4 में किया गया है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

आयोग की बैठकों में लिए गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सार

वर्ष 2008–09 के दौरान आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गईं। आयोग द्वारा आयोजित की गई बैठकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(1) आयोग की 1 अप्रैल, 2008 को हुई बैठक:

(क) रिट याचिका संख्या 2949 – वर्ष 2004 में सुश्री जी. कविता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का निर्णय, जिसमें याचिकाकर्ता ने एक घोषणा रिट जारी करने का अनुरोध किया था कि आपराधिक दण्ड संहिता, 1973 की धारा 64, जहां तक समन का प्रतिबंध जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया है, उसके परिवार के केवल वयस्क पुरुष सदस्य पर ही लागू होगा, असंवैधानिक और अवैध है, पर विचार किया गया। विचार–विमर्श के बाद यह सहमति हुई कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि इस बात पर सहमति हुई कि समन भेजने की प्रक्रिया आसान बनाई जाए।

(ख) आयोग को यह अवगत कराया गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में यथाप्राप्त संशोधन 19.03.2008 को परिचालित कर दिया गया है और इन्हें फरवरी, 2008 में आयोग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले और विचार–विमर्श भी किया जाएगा। प्रसारण संहिता के प्रारूप की एक प्रति सभी सदस्यों को परिचालित कर दी जाए ताकि सदस्य द्वारा सुझाए गए अनुसार एक व्यापक मत सृजित किया जा सके।

(ग) भदोई की एक दलित बालिका (नाम 'क') के बलात्कार और अपहरण के मामले की जांच करने के लिए गठित की गई जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गई।

(घ) (तेजाब से हमला) अपराध निवारण अधिनियम, 2008 के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तेजाब से हमले के शिकार व्यक्ति को उसे पहुंची क्षति की गंभीरता के आधार पर क्षतिपूर्ति के भुगतान की सिफारिश करनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा जाए।

(ड.) कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के संबंध में नीति के प्रारूप पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र मई, 2008 के पहले/दूसरे सप्ताह में आयोजित करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(च) कोख किराए पर लेने और संबद्ध प्रजनन प्रौद्योगिकियों से संबंधित विशेषज्ञों का एक प्रारंभिक परामर्श सत्र आयोग के सम्मेलन हाल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 30–40 व्यक्ति भाग लेंगे।

(छ) शिवानी भटनागर हत्या मामले में न्यायाधीश की टिप्पणियां : मामले पर बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और ध्वनि मत से यह सहमति व्यक्त की गई कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी अभियुक्त की प्रशंसा करने से गलत संदेश जाएगा। न्यायालय के आदेश की एक प्रति प्राप्त की जाएगी और उसकी जांच करने के पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग अभियुक्त की प्रशंसा करने से संबंधित टिप्पणियों को रद्द करने के लिए एक अपील दायर कर सकता है।

(ज) राष्ट्रीय महिला आयोग पर एक लघु फिल्म : यह अनुमोदित किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आकाशवाणी/ एफ एम रेडियो चैनलों पर एक फोन–इन कार्यक्रम आरंभ किया जाए, जिसमें महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के हितों से संबंधित कानूनों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों को तरजीह दी जाए। नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों का स्पष्टतः समावेश किया जाए और उसे एक स्थायी रिकार्ड बनाया जाए।

(झ) संवेदीकरण कार्यक्रमों को आयोजित करने में सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त श्री सुधीर यादव, आई.पी.एस. से प्राप्त अनुरोध के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उनके अनुरोध की आगे जांच करने के लिए महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ के संयुक्त पुलिस आयुक्त से एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया जाए। इस दिशा में कार्रवाई शीघ्र की जाए।

(ञ) गैर–अधिदेशित शिकायतों को बंद करना : शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के समन्वयकों और परामर्शदाताओं को किसी महिला के विरुद्ध अन्य महिला की शिकायतों (उदाहरण के लिए बहु के विरुद्ध सास की शिकायत) के संबंध में जानकारी देने के लिए उनकी एक बैठक आयोजित की जाएगी। चूंकि ऐसे मामले भी महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित हैं, अतः ऐसे मामलों को भी आयोग द्वारा अपने हाथ में लिया जाए। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों के संबंध में भी, जिनमें आयोग को अधिदेश प्रदान नहीं किया गया है, शिकायत की एक प्रति संलग्न करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को पत्र लिखकर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता को इस आशय का एक पत्र भी भेजा जाए कि वे संबंधित प्राधिकारियों, जिन्हें उनकी शिकायत पहले ही भेजी जा चुकी है, से संपर्क करें।

(ट) इस बात पर सहमति हुई कि वैधानिक जागरूकता कार्यक्रमों/ अध्ययन कार्यक्रमों आदि को आयोजित करने के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हों या उसके संबंध में आयोग के सदस्य–सचिव सहित किसी सदस्य की सिफारिश प्राप्त हो।

(2) आयोग की 28.04.2008 को हुई बैठक :

कोख किराये पर लेने और संबद्ध प्रजनन प्रौद्योगिकियों के संबंध में राष्ट्रीय परामर्श सत्र हेतु विशेषज्ञों के नामों अर्थात 1– सुश्री सरोजिनी अथवा एसएएमए से एक प्रतिनिधि, 2– सुश्री इमराना कादिर, पूर्व प्राध्यापिका, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन, जे एन यू, 3– सुश्री इंदु अग्निहोत्री, सी डब्ल्यू डी एस, 4– श्री मोहन राव, प्राध्यापक, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन, जेएनयू, 5– सुश्री टी. राजलक्ष्मी, पत्रकार, फ्रंटलाइन, को अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आईसीएमआर के कुछ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

(3) आयोग की 24.09.2008 को हुई बैठक :

आयोग के प्रकाशन "मीरा दीदी से पूछो" के संशोधित रूप में मुद्रण को अनुमोदित कर दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकाशन में राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों के छायाचित्र शामिल किए जाएं।

(4) आयोग की 11.11.2008 को हुई बैठक :

(i) यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सदस्य उन्हें आबंटित राज्य से संबद्ध मामलों पर चार से पांच राज्य स्तरीय सेमिनारों के संबंध में अंतिम निर्णय करें और उन सेमिनारों का आयोजन करें। संबंधित सदस्य सेमिनार आयोजित करने और उस संबंध में सही प्रकार की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रयोजनार्थ सदस्य के निजी सचिव और किसी एक अधिकारी या समन्वयक की सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्यक्रम मार्च, 2009 तक पूरा हो जाए।

(ii) जहां तक घटनाओं के मामले में स्वतः संज्ञान लेने का मामला है, यह निर्णय लिया गया कि जिस मामले को जांच की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण समझकर उसके संबंध में आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाए, उस मामले को आयोग की अध्यक्षा की जानकारी में लाया जाए। उसके पश्चात संबंधित प्राधिकारी से रिपोर्ट देने के लिए कहा जाए और तत्पश्चात उस प्रयोजनार्थ अधिकृत रूप से एक समिति अधिसूचित की जाए ताकि स्वतः संज्ञान के मामलों में उपयुक्त रिकार्ड उपलब्ध हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे मामलों में रिपोर्टों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।

तथापि, तात्कालिक महत्त्व के मामलों में अध्यक्षा द्वारा सदस्यों को संबंधित स्थल आदि का दौरा करने के लिए कहा जा सकता है, जो स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करेगा। ऐसे मामलों में कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी कि संबंधित दौरों का उपयुक्त रिकार्ड रखा जाए और सदस्यों द्वारा दौरे के पश्चात दी गई रिपोर्टों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए और उन्हें संबंधित प्राधिकारियों को आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया जाए।

(5) आयोग की 06.02.2009 को हुई बैठक :

नोएडा में एक छात्रा के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के संबंध में जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जांच समिति द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए। पीड़ित छात्रा इस संबंध में अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं थी और पुलिस द्वारा इस संबंध में पहले से ही कार्रवाई की जा रही थी तथा मामले की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

(1) अमरीकी प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

अमरीकी राजदूत और प्रोटोकोल प्रमुख सुश्री नैन्सी ब्रिंकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा और अन्य सदस्यों के साथ बातचीत की। अध्यक्ष द्वारा आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में और आयोग द्वारा भविष्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में सुश्री नैन्सी ब्रिंकर को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करती हुई, डॉ. गिरिजा व्यास

सुश्री ब्रिंकर, जो स्तन कैंसर की चिकित्सा से काफी निकट से जुड़ी हुई है, ने यह बताया कि वह किस प्रकार शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने में सफल हो सकी थी।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं से संबंधित द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए अमरीकी दूतावास के वैश्विक मामलों के प्रमुख श्री समीर सेठ तथा द्वितीय सचिव, राजनीतिक अनुभाग सुश्री स्टीफनी होल्मेस ने आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों से भेंट की।

विदेशी मामलों संबंधी सदन की समिति की व्यावसायिक स्टाफ सदस्या सुश्री जसमीत आहूजा, उप–प्रमुख, परामर्शदात्री सुश्री क्रिस्टिन वैल्स तथा वरिष्ठ सलाहकार और परामर्शदात्री सुश्री सन्ना विंटर्स ने आयोग का दौरा किया तथा अध्यक्षा से बातचीत की और भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में विचार–विमर्श किया।

(2) नार्वे के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

सुश्री करिअन्ने रोबोले सोरेसन, सलाहकार, नार्वे आप्रवास अपील बोर्ड के नेतृत्व में नार्वे से आए प्रतिनिधिमंडल ने 17.10.2008 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया। सुश्री सोरेसन के साथ श्री बर्न्ट सकारा और सुश्री इलि मिलबी भी आए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने उनके साथ महिलाओं की समस्याओं पर विचार–विमर्श किया और उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में व्यापक जानकारी दी।

(3) रवांडा के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

रवांडा के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष श्री क्युम्बा देवोग्रेटियस के नेतृत्व में आयोग के तीन–सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एक पारस्परिक चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य–सचिव श्री एस. चटर्जी ने उनके समक्ष एक प्रस्तुतीकरण किया और तत्पश्चात उन्हें आयोग के संघटन के बारे में संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई।

पारस्परिक बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों द्वारा अपने–अपने देशों की सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं पर चर्चा की गई। श्री देवोग्रेटियस ने यह बताया कि रवांडा की संसद में 48 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

(4) यूरोपीय आयोग के राजदूत द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

यूरोपीय आयोग की राजदूत मैडम समाद्जे ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग के सदस्यों के साथ काफी उपयोगी चर्चा की। आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने यूरोपीय आयोग की राजदूत को राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने यह बताया कि भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर महिलाओं के हितों के दृष्टिगत अनेक विशेष कानून अधिनियमित किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करके महिलाओं के हितों से संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे में महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास करता रहा है। आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों में पुलिस के सिपाही के स्तर से लेकर पुलिस महानिदेशक तक के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्षा ने यह भी कहा कि नारी भ्रूणहत्या, अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह, दहेज कानूनों, तेजाब से हमलों आदि जैसे मुद्दों पर आयोग द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए कानून में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए कार्यशालाओं और परामर्श सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया

व्यक्त करते हुए यूरोपीय आयोग की राजदूत ने कहा कि चूंकि उनके लक्ष्य एक जैसे हैं, अर्थात वे भी महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कार्यरत हैं, अतः वह आयोग की परियोजनाओं में भागीदार होना चाहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को जल, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, स्वच्छता आदि उपलब्ध कराने में लैंगिक भेदभाव संबंधी मुद्दों की संकल्पना पर सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं को पोषित करने के लिए उनके पास सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय उपकरण और पर्याप्त वित्त उपलब्ध है।

(5) नेपाल के राष्ट्रीय दलित आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

नेपाल के राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना तथा इसके क्रियाकलापों और कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए आयोग का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने उन्हें आयोग के संघटन तथा आयोग द्वारा उठाए जाने वाले महिलाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं को उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और मॉनीटर करना तथा मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक हो, संशोधनों के संबंध में सुझाव देना है। उन्होंने यह बताया कि आयोग ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के दृष्टिगत दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बलात्कार कानूनों, आदि सहित महिलाओं से संबंधित अनेक कानूनों की समीक्षा की है। आयोग की स्थिति के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि आयोग, संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थिति सिविल न्यायालय के सदृश है तथा यह भारत के किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुला सकता है। केंद्र सरकार के लिए महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में आयोग की राय लेना अनिवार्य है।

(6) आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा विदेशों का दौरा

1. डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा ने 14–16 जुलाई, 2008 के दौरान पेरिस और लंदन में आयोजित भारत–यूरोपीय गोलमेज बैठक में भाग लिया।

नेपाल के राष्ट्रीय दलित आयोग को संबोधित करती हुई, डॉ. गिरिजा व्यास

2. आयोग के तीन सदस्यों ने 'यूनिफेम', शक्तिवाहिनी, एचईआर, टीएचएनईटी और नेशनल मीडिया द्वारा देह व्यापार हेतु महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के निवारण और नियंत्रण पर आयोजित किए गए सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू, नेपाल का दौरा किया।

3. आयोग के एक सदस्य ने 'मैती', नेपाल स्थित एक आश्रय गृह का दौरा किया, जहां अनाथ और उपेक्षित बालिकाओं का पुनर्वसन किया जाता है। इस आश्रय गृह में भारत के बच्चों का भी अत्यधिक नियोजित रूप में पुनर्वसन किया गया है। उनके द्वारा बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से रखा जाता है और उनकी देखभाल के लिए दो चिकित्सकों और चार नर्सों को नियुक्त किया गया है। दो वर्ष की आयु से छोटे बच्चों का पालना अलग से है और उनकी देखभाल के लिए माताएं भी रखी गई हैं। चार–पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बोर्डिंग हाउस की भी व्यवस्था की गई है। इस आश्रय गृह में प्रार्थना करने, खेल और खाने–पीने के लिए अलग–अलग स्थान नियत किए गए हैं।

दुर्व्यापार और बाल श्रम से मुक्त कराई गई बालिकाओं के लिए 'किशोरी निकेतन' नाम से एक अन्य आश्रय गृह भी है। इसे आरंभ किए जाने के बाद से, इसके द्वारा 1075 बालिकाओं का पुनर्वसन किया गया है। यहां बालिकाओं को आरामदेह और पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराकर शिक्षा, शारीरिक और मानसिक देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जीवन कौशल प्रदान किए जाते हैं। आश्रय गृहों में रहने वाली सभी बालिकाओं को शिक्षा और मानवाधिकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रेस सम्मेलन

1. डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा ने 9 अप्रैल, 2008 को राष्ट्रीय महिला आयोग में पुनः कार्यभार संभालने पर आयोग के भावी कार्यक्रमों, जिसमें "परिवार बचाओ घर बचाओ" कार्यक्रम शामिल था, के संबंध में मीडिया से बातचीत की।

   उन्होंने कहा कि आयोग एक नई परियोजना शुरू कर रहा है, जिसमें परामर्श के द्वारा विवाह संबंधों को बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत, चलाया जाने वाला "घर बचाओ : परिवार बचाओ" अभियान दंपतियों को उनके बीच यदि संबंध की कड़वाहट काफी अधिक न बढ़ गई हो तो उन्हें अलग–अलग रहने से और अंततः तलाक लेने से हतोत्साहित करेगा। आयोग यह चाहता है कि नए दंपतियों को अत्यंत छोटी–छोटी बातों को मुद्दा बनाकर विवाह संबंधों को तोड़ने से रोकने के लिए तथा परिवार की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं की आवश्यकता पर बल दिया जाए। इस परियोजना में महिलाओं हेतु न्याय सुरक्षित करने के लिए पुलिस, राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। परियोजना में मुख्य बल महिलाओं के हितों से संबंधित मामलों में पुलिस कार्मिकों को संवेदनशील बनाने तथा घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क तथा वैवाहिक विवादों के मामले में लागू अन्य कानूनों का समझौते और विवाद निपटान की दृष्टि से उपयुक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

2. तेजाब हमलों के पीड़ितों के लिए विधेयक के प्रारूप पर आयोग में 2 मई, 2008 को एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेजाब से हमलों के पीड़ितों के लिए (तेजाब से हमला) "अपराध निवारण अधिनियम, 2008" नामक एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। तेजाब से हमलों को एक लिंग–आधारित हिंसा का कृत्य कहा जा सकता है, जिसके कारण महिलाओं को शारीरिक, लैंगिक,

मनोवैज्ञानिक क्षति या परेशानी होती है या होने की संभावना होती है। इस मामले में चिकित्सीय उपचार काफी महंगा होता है तथा प्रायः पीड़िता को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है और उसे किसी से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। वर्तमान में ऐसी पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई उपबंध नहीं है। ऐसे मामलों को भारतीय दंड संहिता की धारा 320 और 326 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है जो पीड़ित पक्ष को अत्यधिक चोट पहुंचाने के मामले में लगाई जाने वाली धारा है जबकि तेजाब से हमले की घटना वास्तव में इससे कहीं अधिक क्षतिकारक होती है क्योंकि इस स्थिति में पीड़िता के शरीर के विभिन्न भागों को स्थायी तौर पर और गंभीर क्षति पहुंचती है।

प्रस्तावित कानून के अंतर्गत, निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैः (1) तेजाब से हमले को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक पृथक तथा अत्यधिक जघन्य प्रकार का अपराध घोषित करना; (2) पीड़िता को प्लास्टिक सर्जरी सहित अन्य प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना; (3) तेजाब से हमले की पीड़िताओं को कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना; और (4) तेजाब की बिक्री को विनियमित करना।

3. कृषि कार्य में लगी महिलाओं के लिए नीति के एक प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 10 मई, 2008 को एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग ने 10 मई, 2008 को नई दिल्ली में "कृषि कार्य में लगी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रारूप" पर एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र आयोजित किया था। हालांकि कृषि कार्य में 40 प्रतिशत महिलाएं लगी हैं तथा लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवार वस्तुतः स्त्री–प्रधान हैं, फिर भी नीति दस्तावेज में कृषि कार्य और श्रम में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि भूमि और आजीविका में लैंगिक समानता होनी चाहिए।

4. 24 मई, 2008 को मुंबई में "स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986" विषय पर एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में महिलाओं के अशिष्ट रूपण से निपटने के लिए एक स्व–नियामक तंत्र या नए कानून की मांग की है। मुंबई में स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 विषय पर आयोजित परामर्श सत्र के दौरान प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टेलीविजन सीरियलों में महिलाओं के रूपण जो यह आवश्यक नहीं है कि अपमानजनक हो किंतु जिनमें महिलाओं को उचित परिप्रेक्ष्य में निरूपित नहीं किया जाता, को देखते हुए, मौजूदा कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। सीरियलों में प्रायः कानूनों के उल्लंघन को प्रोत्साहित किया जाता है। आयोग ने यह सिफारिश की कि पहली बार दोषसिद्ध होने पर दंड की राशि में वृद्धि की जाए और उसे बढ़ाकर 10,000/– रुपए तथा कम से कम छः महीनों का कारावास कर दिया जाए जिसे बाद में कानून का उल्लंघन किए जाने पर बढ़ाकर 5 वर्ष तक तथा धन की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। नए कानून में बच्चों की अश्लील फिल्मों के निर्माण को भी कवर किया जाए।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने अहमदाबाद में बम विस्फोट से प्रभावित महिलाओं और बच्चों सहित अन्य पीड़ितों को प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में 30 जुलाई, 2008 को एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय

महिला आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल, जिनमें आयोग की सदस्या मंजू हेमब्रम शामिल थीं, ने हाल में हुए सीरियल बम विस्फोटों के पीड़ितों से मिलने के लिए अहमदाबाद का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या सुश्री संध्या बजाज भी शामिल थीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार से सीरियल बम विस्फोटों के पीड़ितों को समय से पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना घटित होने पर महिलाएं और बच्चे उससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर विशेष ध्यान देने और उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। अतः हमने केंद्र और राज्य सरकारों से बम विस्फोटों की पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष पैकेज देने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

6. नई दिल्ली में 10 सितंबर, 2008 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिमसें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि दहेज से संबंधित मामलों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए, आयोग ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में कई संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव की मुख्य बातों में दहेज प्रतिषेध अधिनियम से विवाह से संबंधित वाक्यांश को अलग करना शामिल है क्योंकि इस पद को न्यायालय द्वारा अत्यधिक संकीर्ण अर्थ में परिभाषित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की उस धारा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत दहेज लेने वाले और देने वाले, दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि प्रायः दुलहन के परिवार को दहेज देने के लिए बाध्य किया जाता है, अतः आयोग ने यह प्रस्ताव किया कि दहेज लेने वाले पक्ष को अधिक गंभीर दंड दिया जाए और उसके कारावास की अवधि बढ़ाकर पांच वर्ष तक कर दी जाए जबकि

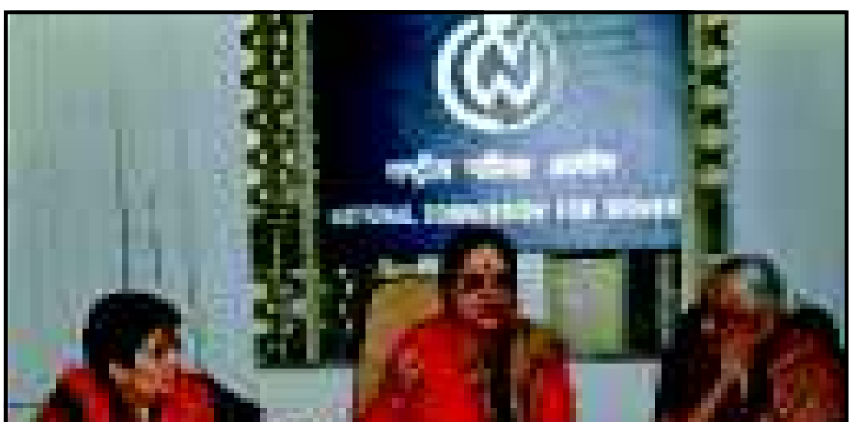

प्रेस सम्मेलन में (बाएं से) सुश्री यासमीन अबरार, डॉ. गिरिजा व्यास, डॉ. मोहिनी गिरी

लिव–इन संबंधों पर 19 दिसंबर, 2008 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

दहेज देने वाले को कम अवधि तक का कारावास, जो एक वर्ष तक का हो, दिया जाएगा।

7. नई दिल्ली में 13 अक्तूबर, 2008 को राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क पर आयोग की राय के संबंध में आयोजित प्रेस सम्मेलन में डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि इसके दुरुपयोग के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आयोग में इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया है तथा इस समय यह महूसस किया गया है कि इस अधिनियम में संशोधन करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि आयोग ने यह प्रस्ताव किया कि सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि इस धारा के अंतर्गत शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में यदि आवश्यक हो, तो पुलिस द्वारा एक प्रारंभिक अन्वेषण किया जाए और विवाह संबंध को बचाने के लिए संबंधित पक्षों को परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। केवल उसी स्थिति में ऐसे मामलों को पंजीकृत किया जाए, जिसमें प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता हो कि मामला उत्पीड़न का है।

8. राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2008 को दंड प्रक्रियश संहिता की धारा 125 के संबंध में आयोजित प्रेस सम्मेलन में डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें दीर्घकालिक संबंध को शामिल करने के लिए पत्नी की परिभाषा को व्यापक बनाना शामिल है। केवल ऐसे संबंधों में ही, जिसमें महिला और पुरुष वैवाहिक संबंधों के रूप में एक साथ रहते हैं, को शामिल करने पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह स्पष्ट किया कि अपनी सुविधा से निर्मित किए गए संबंधों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, कतिपय मामलों में, जिनमें संबंध मुश्किल से छः माह तक का होता है और जिसमें स्त्री–पुरुष के बीच कोई आपसी प्रतिबद्धता नहीं होती है, न्यायालय द्वारा ऐसे संबंध को अवैध घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है। तथापि आयोग ने पहली पत्नी के अधिकारों के दृढ़तापूर्वक संरक्षण की मांग की। समिति इस मामले पर अपना विचार–विमर्श जारी रखेगी तथा शीघ्र ही अपनी स्वतः पूर्ण सिफारिशें जारी करेगी।

9. राजधानी में महिलाओं के साथ अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर 8 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा का कोई प्रबंध न होने के संबंध में जनता द्वारा बार–बार कहे जाने के बावजूद, दिल्ली महिलाओं के लिए काफी जोखिम भरा शहर हो गया है तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी शिकायतें हमारे लिए अत्यधिक चिंता का विषय हैं। हमारा आयोग इस स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और इस पर नियंत्रण के लिए कड़े उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों ने महिलाओं के साथ अपराधों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले और प्रमुख शहरों में अलग से महिला थाना खोला है।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में 28 फरवरी, 2009 को "जागो अभियान/ विवाह नियमों" पर एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग ने "जागो" नाम से एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से महिलाओं के विरुद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करने के लिए तथा ऐसे अमानवीय अपराधों को करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए अभियान का समर्थन करने का आह्वान किया गया है। समाज के सभी वर्गों के लोगों, जिनमें विद्यार्थी, नर्स, धार्मिक कार्यों से जुड़ी महिलाएं, वकील,

महिला कार्यकर्ता आदि सभी एकत्र हुए तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की शपथ ली। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक बढ़–चढ़कर भाग लिया किंतु दुर्भाग्यवश, हमने यह भी देखा कि तभी उनके साथ बलात्कार संबंधी मामलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई। अतः हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक बलात्कारमुक्त क्षेत्र बने तथा इसके लिए हमने अपने नवीन कार्यक्रम "जागो" के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सरकार तथा सिविल समाज की सहायता प्राप्त की है।

डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि विवाह के पंजीकरण से बाल विवाह, दहेज, द्वि–विवाह आदि जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता प्राप्त होगी तथा साथ ही, इससे दूसरी पत्नी के भ्रण–पोषण से संबंधित मामला भी सुलझ सकेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498क पर चर्चा करते हुए, उन्होंने इसे महिलाओं की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे कुछ नये विधेयकों, जैसेकि विवाह का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, भरण–पोषण विधेयक और (तेजाब से हमला) अपराध निवारण विधेयक के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का संवेदनशील होना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। नए कानूनों को इतना व्यावहारिक होना चाहिए कि वे घरों को बचा सकें और इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बना सकें।

आयोग द्वारा प्रकाशित सूचना पत्र : राष्ट्र महिला

आयोग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित मासिक सूचनापत्र **"राष्ट्र महिला"** के माध्यम से देशभर में महिला कार्यकर्ताओं, कानून जगत के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में सूचना पहुंचाना जारी रखा गया।

इस सूचनापत्र में आयोग के क्रियाकलापों तथा साथ ही आयोग में दायर की गई शिकायतों के निपटान और महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण अदालती और सरकारी निर्णयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। मुद्रण की बढ़ती लागत के बावजूद, यह सूचनापत्र सभी पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मासिक सूचना पत्र आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in पर भी उपलब्ध है।

जागो अभियान

हाल में, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि से अत्यधिक विक्षुब्ध होकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने "जागो" नाम से एक नया अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से महिलाओं के विरुद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करने के लिए तथा ऐसे अमानवीय अपराधों को करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए अभियान का समर्थन करने का आह्वान किया गया है। समाज के सभी वर्गों के लोगों, जिनमें विद्यार्थी, धार्मिक कार्यों से जुड़ी महिलाएं, वकील, महिला कार्यकर्ता आदि सभी शामिल थे, एकत्र हुए तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की शपथ ली।

"जागो" अभियान एक वर्ष की अवधि तक चलाई जाने वाली परियोजना है, जिसकी प्रत्येक तीन माह पर समीक्षा की जाएगी और जिसके अंतर्गत पुलिस को महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों से संबंधित मामलों के निपटान में तथा न्यायपालिका को ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत मीडिया से पीड़ितों की गोनीयता को बनाए रखने का तथा पीड़ित महिला और अभियुक्त के साथ निपटने में पुलिस को संवेदनशील बनाने के अतिरिक्त, महिलाओं के साथ अपराध, छेड़–छाड़, आदि को रोकने तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने

के लिए सरकार और सिविल समाज द्वारा की गई पहल का विशेष रूप से उल्लेख करने का अनुरोध किया जाएगा। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुरू किया जाएगा तथा बाद में देश के विभिन्न भागों में भी इसे पहुंचाया जाएगा।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा किया गया, जिन्होंने उद्घाटन समारोह में सम्मिलित लोगों को यह शपथ दिलाई कि "आज हम यह शपथ लेते हैं कि हम इसके बाद महिलाओं के साथ किसी भी रूप में हुए अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। हम अपने सभी साधनों का प्रयोग करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि समाज ऐसी बुराई से मुक्त हो। हम इस बात के लिए सतर्क रहेंगे कि ऐसे अत्याचारों को करने वाले व्यक्ति उसे न कर सके और यदि कोई अत्याचार हो जाए तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे कि दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाए और अनुकरणीय न्याय स्थापित हो। हम सर्वदा सतर्क रहेंगे" और कहा कि महिलाओं की समस्याओं का सामूहिक रूप से निपटान किया जाए क्योंकि इसके कारण संपूर्ण समाज प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज या राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उस समाज या राष्ट्र में महिलाओं को समुचित आदर प्रदान न किया जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि " पिछले वर्ष महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक बढ़–चढ़कर भाग लिया किंतु दुर्भाग्यवश, हमने यह भी देखा कि तभी उनके साथ बलात्कार संबंधी मामलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई। अतः हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक बलात्कारमुक्त क्षेत्र बने तथा इसके लिए हमने अपने नवीन कार्यक्रम "जागो" के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सरकार तथा सिविल समाज की सहायता प्राप्त की है।

जेल का दौरा : आयोग के सदस्यों ने असम के लखीमपुर में स्थित केंद्रीय जेल का दौरा किया तथा जेल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि वहां जेल में कैदियों की संख्या क्षमता से काफी अधिक है। तथापि जेल अधीक्षक ने यह सूचित किया कि इस जेल को शीघ्र ही दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।

अस्पताल का दौरा : आयोग की अध्यक्षा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद में सीरियल बम विस्फोटों के पीड़ितों से मिलने के लिए अहमदाबाद स्थित तीन अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने राज्य सरकार से बम विस्फोट के शिकार पीड़ित व्यक्तियों को समय से पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गुजरात सरकार द्वारा यह आशवासन दिया गया है कि सीरियल बम विस्फोटों के पीड़ितों को एक माह के भीतर मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा।

आयोग की सदस्या ने लखीमपुर स्थिति सिविल अस्पताल का दौरा किया तथा बम विस्फोट के पीड़ितों के बारे में जानकारी हासिल की। इसी संदर्भ में, वे बम विस्फोट के पीड़ितों के जोनाई अवस्थित घर भी गईं। वे विभागीय प्रमुखों, गैर–सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं, पंचायत और नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ एक बैठक में भी शामिल हुईं।

अल्पवास गृहों / नारी निकेतन का दौरा : आयोग की सदस्या ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित अल्पवास गृहों का दौरा किया और वहां उन्होंने मुक्त कराई गई बाल विवाह तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं से भी बातचीत की।

आयोग की सदस्या ने बीकानेर स्थित नारी निकेतन का दौरा किया और वहां रह रही संवासिनियों की समस्याओं पर चर्चा की तथा साथ ही नारी निकेतन के प्रभारी से भी बातचीत की। उसके पश्चात उन्होंने इस मामले में नारी निकेतन के प्रभारी से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।